

25 से 28 सितंबर 2025 तक भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित होने वाले वर्ल्ड फुड इंडिया 2025 में टी बोर्ड इंडिया के साथ भागीदारी के लिए परिपत्र

संदर्भ सं प्रोम-NATL0EXBI/3/2025

दिनांक:

ए. उद्देश्य

भारतीय जनता के मन में चाय की सकारात्मक छवि को सुदृढ़ करना, साथ ही खपत बढ़ाने के उद्देश्य से चाय को पसंदीदा पेय के रूप में बढ़ावा देना।

बी. परिचय

वर्ल्ड फुड इंडिया 2024 के तीसरे संस्करण की सफलता के बाद, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने भारत मंडपम, नई दिल्ली में 25-28 सितंबर 2025 तक वर्ल्ड फुड इंडिया 2025 के चौथे संस्करण की तारीखों की घोषणा की है। वर्ल्ड फुड इंडिया 2024 ने निवेशकों, निर्माताओं, उत्पादकों, खाद्य प्रसंस्करणकर्ताओं, खरीददारों, निर्यातकों, नीति निर्माताओं और वैश्विक खाद्य पारिस्थितिकी तंत्र के प्रत्येक हितधारक को एक छत के नीचे एक मंच प्रदान किया, जिससे खाद्य प्रसंस्करण और खुदरा मूल्य श्रृंखला में भारतीय बाजार का पता लगाने के लिए एक मंच उपलब्ध हुआ, जिससे भारत खाद्य प्रसंस्करण के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित हुआ। डब्ल्यूएफआई 2024 में 20 से अधिक देशों और 26 भारतीय राज्यों के 1557 प्रदर्शकों ने भाग लिया, जो 70,000 वर्ग मीटर में फैले हुए थे। इसके अलावा, विश्व भर से 809 अंतर्राष्ट्रीय खरीदार आए, तथा वर्ल्ड फूड इंडिया ने चार दिनों में 8100 से अधिक बी2बी बैठकों का आयोजन किया।

इस आयोजन के महत्व को ध्यान में, टी बोर्ड इंडिया, 25-28 सितंबर 2025 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में टी बोर्ड इंडिया के साथ वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 में भागीदारी के लिए इच्छुक हितधारकों से आवेदन आमंत्रित करता है।

सी. आवेदनों की प्राप्ति और जांच:

1. टी बोर्ड इंडिया के साथ वर्ल्ड फुड इंडिया 2025 में भाग लेने के लिए सभी आवेदन आवेदक द्वारा सर्विसप्लस पोर्टल (<https://serviceonline.gov.in>) पर ऑनलाइन जमा किए जाएंगे।
2. आवेदन सफलतापूर्वक जमा करने के बाद, विशिष्ट आईडी (संदर्भ संख्या) के साथ एक पावती स्वचालित रूप से उत्पन्न हो जाएगी। पावती आवेदन प्राप्ति की पुष्टि मात्र है तथा इससे आवेदक योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए पात्र नहीं बनता है।
3. आवेदन की जांच टी बोर्ड द्वारा की जाएगी तथा आवेदन की स्वीकृति या अस्वीकृति की सूचना दी जाएगी।
4. ऐसे अनुपालन की पुष्टि करने वाले दस्तावेजों की कमी के कारण अपूर्ण किसी भी आवेदन को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।

डी. पात्रता मापदंड

1. टीएमसीओ 2003/टीडीईसीओ के अनुसार पंजीकृत भारतीय चाय कंपनियां
2. आवेदकों को यह वचन देना होगा कि वे व्यापार और कारोबार से संबंधित किसी भी आधार पर किसी जांच/आरोप/अभियोजन/निषेधित/काली सूची में नहीं हैं।

ई. शर्त

1. केवल भारतीय चाय को ही कार्यक्रमों में प्रदर्शित, नमूना और प्रदर्शित किया जाना चाहिए। भारतीय चाय जिसमें कैमेलिया साइनेंसिस जैसा प्रमुख घटक न हो, साथ ही भारत के अलावा अन्य मूल की चाय को किसी भी परिस्थिति में प्रदर्शित, नमूना/बेचा/प्रचारित नहीं किया जाना चाहिए। टी बोर्ड सहित घरेलू मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए, प्रत्येक आवेदक को यथासंभव न्यूनतम विशिष्ट स्थान उपलब्ध कराया जाएगा।
2. प्रतिभागियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका प्रदर्शन सौंदर्यपूर्ण ढंग से रखा गया है और प्रदर्शनी की पूरी अवधि के दौरान उन्हें आवंटित स्थान पर समुचित रूप से लोग मौजूद हैं।
3. प्रदर्शनी लगाने वाली कम्पनियों के प्रतिनिधि अधिमानतः वरिष्ठ प्रबंधन स्तर के होंगे। कार्यक्रम के समापन से पहले स्टॉल खाली छोड़ना गंभीरता से लिया जाएगा और इससे टी बोर्ड द्वारा अगले कार्यक्रम में भागीदारी की अस्वीकृति हो सकती है।
4. समूह कंपनियों के लिए केवल एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा, जहां पूरे समूह को एक आवेदक माना जाएगा।
5. यदि प्रतिभागी, जिसने भागीदारी की पुष्टि कर दी है, कार्यक्रम शुरू होने से एक महीने पहले भागीदारी से पीछे हट जाता है तो अग्रिम भागीदारी शुल्क और आवेदन शुल्क जब्त कर लिया जाएगा।
6. किसी विशेष कार्यक्रम/मेले/प्रदर्शनी में उपलब्ध स्थान की तुलना में आवेदकों की संख्या अधिक होने की स्थिति में, महत्व के अवरोही क्रम में निम्नलिखित श्रेणियों को वरीयता दी जाएगी:
 - i. मूल्य संवर्धित/जैविक चाय/विशिष्ट चाय का कारोबार करने वाली कंपनियां/आवेदक
 - ii. एमएसएमई
 - iii. लघु चाय उत्पादक/ स्टार्ट अप
 - iv. बड़ी कंपनियां
7. किसी विशेष श्रेणी में प्रतिभागियों की संख्या अधिक होने पर, उस विशेष श्रेणी के लिए आवेदक का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। एसटीजी को प्रत्येक आवेदक के लिए भागीदारी शुल्क के रूप में 1000 रुपये + जीएसटी के भुगतान को छोड़कर, स्टॉल के लिए किसी भी शुल्क से छूट दी जाएगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लघु उत्पादकों के लिए कोई भागीदारी शुल्क नहीं होगा।
8. टी बोर्ड केवल बुनियादी सुसज्जित स्टॉल स्थान उपलब्ध कराएगा। अन्य सभी आवश्यकताएं जैसे आवास, नमूना लेने के उपकरण, लॉजिस्टिक्स, अतिरिक्त फर्नीचर, साज-सज्जा आदि तथा अन्य आकस्मिक शुल्क की व्यवस्था कंपनी को करनी होगी तथा कंपनी द्वारा ही वहन किया जाएगा।
9. स्व-घोषणा कि कंपनी ने किसी विशेष आयोजन के लिए सरकार की किसी अन्य योजना या किसी अन्य सरकारी/अर्ध-सरकारी संगठन से लाभ नहीं लिया है और न ही लेगी।
10. कंपनियों के लिए पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए सीए द्वारा प्रमाणित वार्षिक टर्नओवर प्रमाणपत्र

एफ. आवेदन जमा

1. प्रत्येक विशेष आयोजन के लिए आवेदन पर केवल उस आयोजन को टी बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करने के बाद ही विचार किया जाएगा। एसआईएल मुंबई 2025 में भाग लेने के लिए आवेदन और भागीदारी शुल्क के साथ आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 18 अगस्त 2025 है।

2. यदि आयोजन में संयुक्त भागीदारी के लिए अपेक्षित कंपनियों की संख्या उपलब्ध नहीं है, जिससे टी बोर्ड के पास उपलब्ध स्थान का इष्टतम उपयोग किया जा सके, तो टी बोर्ड अंतिम तिथि को बढ़ा सकता है।
3. यदि आवेदन करने वाली कंपनियों की संख्या चाय बोर्ड के पास उपलब्ध स्थान से अधिक हो तो उनका चयन उपर्युक्त 6 एवं 7 के तहत उल्लिखित मानदंडों के अनुसार किया जाएगा। तथापि, चयनित कंपनियों में से किसी द्वारा आवेदन रद्द करने या वापस लेने की स्थिति में प्राथमिकता सूची में अगली पात्र कंपनी को अवसर प्रदान किया जाएगा।

जी. आवेदन शुल्क

- 1) आवेदन शुल्क के रूप में 5,000/- + जीएसटी जमा करना होगा। वैध स्मार्ट कार्ड वाले लघु चाय उत्पादकों को 1000/- + जीएसटी का भुगतान करना होगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को छूट दी गई है।
- 2) आवेदन के समय भागीदारी शुल्क के रूप में 50,000/- रुपये (पचास हजार रुपये मात्र) का अग्रिम भुगतान करना होगा। स्टार्ट-अप्स को बाद में लागू भागीदारी शुल्क का भुगतान करना होगा।
- 3) यदि कोई चयनित प्रतिभागी कार्यक्रम प्रारंभ होने की तिथि से एक माह पूर्व तक अपना नाम वापस ले लेता है, तो उसका आवेदन और भागीदारी शुल्क जब्त कर लिया जाएगा।

एच. आवेदनों की जांच

प्राप्त आवेदनों की जांच की जाएगी और आवेदक कंपनियों की भागीदारी के बारे में यथाशीघ्र सूचना दी जाएगी।

आई. संस्वीकृति जारी करना

आवेदनों की जाँच पूरी होने पर, धनराशि की उपलब्धता के आधार पर, भागीदारी की स्वीकृति की सूचना दी जाएगी। यात्रा, आवास और भोजन आदि की व्यवस्था प्रतिभागियों को स्वयं करनी होगी।

जे. गतिविधि के समापन के संबंध में सूचना

प्रतिभागियों द्वारा कार्यक्रम के समापन की तिथि से 4 सप्ताह के भीतर कार्यक्रम के बारे में रिपोर्ट और फीडबैक, उत्पन्न जागरूकता, प्राप्त ऑर्डर आदि प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

के. सहायता का स्तर:

- 1) सुसज्जित स्टाल की कुल लागत का 60%।
- 2) स्टार्ट-अप के मामले में उनके सुसज्जित स्टॉल के लिए कुल लागत का 80%।
- 3) दोनों पक्षों की ओर से अतिरिक्त धनराशि, यदि कोई हो, आयोजन के समापन के बाद अंतिम गणना के आधार पर समायोजित (वापस/वापस ली) कर दी जाएगी।
- 4) टी बोर्ड केवल बुनियादी सुसज्जित स्टॉल स्थान उपलब्ध कराएगा। अन्य सभी आवश्यकताएं जैसे आवास, नमूना लेने के उपकरण, लॉजिस्टिक्स, अतिरिक्त फर्नीचर, साज-सज्जा आदि तथा अन्य आकस्मिक शुल्क की व्यवस्था प्रतिभागी को स्वयं करनी होगी तथा उसे वहन करना होगा।